भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1414
जिसका उत्तर मंगलवार, 26 जुलाई, 2016 को दिया जाना है।

अधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योग

1414. श्री नलीन कुमार कटील:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों को चिह्नित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और उद्योग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन उद्योगों में ऊर्जा की खपत रोकने के लिए कोई मानक लागू किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी उद्योगों द्वारा उक्त मानदंडों का पालन किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उद्योगों द्वारा अनिवार्य ऊर्जा खपत मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): भारी उद्योग विभाग की भूमिका इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तक सीमित है और इसलिए भारी उद्योग विभाग में अधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों के बारे में कोई केन्द्रीकृत आंकड़ा नहीं रखा जाता है। तथापि, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने सूचित किया है कि उन्होंने राष्ट्रीय वृद्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) के तहत 11 सेक्टरों में अधिक ऊर्जा खपत वाले 621 उद्योगों को चिह्नित किया है। इन उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग): बीईई ने सूचित किया है कि उन्होंने अधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों द्वारा ऊर्जा की खपत को रोकने के लिए मानक लागू किए हैं जैसा कि उन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1264(ई) के माध्यम से 621 उद्योगों को ऊर्जा खपत कटौती के विशिष्ट लक्ष्य दिए हैं।

(घ) और (ङ): बीईई ने सूचित किया है कि चरण-I (2012-13 से 2014-15) के अंतर्गत सभी 478 उद्योगों ने ऊर्जा खपत संबंधी मानकों का पालन किया है। उन्हें 6.686 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेन्ट (एमटीओई) का लक्ष्य दिया था जिसकी तुलना में उन्होंने 8.867 एमटीओई हासिल किया है।

(च): बीईई ने सुदृढ़ निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया विकसित की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्योगों द्वारा ऊर्जा खपत में अनिवार्य कटौती का पालन किया जा रहा है। अधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योग थर्ड पार्टी ऑडिट एजेन्सी द्वारा निर्धारित पद्धति और प्रारूपों के अनुसार उनके संयंत्र की निगरानी और सत्यापन लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं और यदि उद्योग निर्धारित मानकों का पालन नहीं करता है तो उस पर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के दंड संबंधी उपबन्धों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

****

अनुबंध

राज्य का नाम	एल्यूमीनियम	सीमेन्ट	क्लोर-अल्कली	डिस्कॉम्स	पल्प एंड पेपर	उर्वरक	लौह और इस्पात	वस्त्र	टीपीपी	रिफाइनरी	रेलवे		कुल डीसी
											रेलवे (क्षेत्रीय)	रेलवे (उत्पादन)	
आंध्र प्रदेश	0	19	2	2	3	2	1	0	12	1	0	0	41
असम	0	0	0	1	2	2	0	0	3	2	1	0	12
बिहार	0	1	0	2	0	0	0	0	2	1	1	0	7
छत्तीसगढ़	1	7	0	1	0	0	24	0	11	0	1	0	45
दिल्ली	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0	1	0	7
गोवा	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	5
गुजरात	0	9	10	4	2	6	4	12	18	4	0	0	69
हरियाणा	0	0	0	2	1	1	1	2	5	1	0	0	13
हिमाचल प्रदेश	0	5	0	1	1	0	0	7	0	0	0	0	14
झारखंड	1	1	1	1	0	0	3	0	7	0	0	0	14
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
कर्नाटक	1	6	0	4	1	1	5	3	4	1	0	1	27
केरल	0	1	1	1	1	1	0	0	3	1	0	0	9
मध्य प्रदेश	1	11	1	3	1	2	0	7	4	1	1	0	32
महाराष्ट्र	1	5	0	1	2	4	11	15	14	2	2	0	57
मेघालय	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
ओडिशा	6	2	1	4	3	2	12	0	3	0	1	0	34
पंजाब	0	1	2	1	3	2	0	17	3	1	0	2	32
पुदुचेरी	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
राजस्थान	0	19	1	3	0	3	0	29	10	0	1	0	66
तमिलनाडु	0	13	3	1	4	2	1	6	16	1	1	1	49
तेलंगाना	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	9
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
उत्तर प्रदेश	1	3	1	5	3	8	1	1	18	1	2	1	45
उत्तराखंड	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
पश्चिम बंगाल	0	0	0	1	1	0	3	0	13	1	3	1	23
योग	12	111	24	44	29	37	71	99	154	18	16	6	621